30/2016

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु[क्म] की तामील में जारी [हुए]
30/7/2025 दोनो पक्षो के वकील उप. विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम बहस सुनी गई थी। बहस पर मनन पश्चात पाया कि उभय पक्ष अधिवक्ता मालिक बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है। विभाजन प्रस्ताव की प्रारम्भिक डिक्री मुताबिक तैयार किया गया है। लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। डिक्री -वर्क जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 30/2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2016/00103

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह 2.भीमसिंह पुत्र अचलसिंह 3.उत्तमसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कांकराला तहसील कल्याणपुर		1.चैनसिंह पुत्र अचलसिंह 2.लादूसिंह पुत्र अचलसिंह 3.हेमसिंह पुत्र अचलसिंह 4.जालमसिंह पुत्र अचलसिंह के वारिसान 4/1.गुलाब कंवर पत्नि जालमसिंह 4/2.गजेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह 4/3.दिक्षा पुत्री जालमसिंह 4/4.कौशल्या कंवर पुत्री जालमसिंह 5.अमरसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कांकराला तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता वादीगण

2. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक— 30.07.2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा कांकराला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 93, 142, 8 , 300/151, 301/151, चच302/151 क्षेत्रफल 5.5037 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 13.4.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कांकराला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 93, 142, 8 , 300/151, 301/151, 302/151 क्षेत्रफल 5.5037 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	चेनसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 7/8 मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. देह खोतदार	कांकराला	93 8 142	4.3504 1.7163 0.1246	बा.सोयम बा.सोयम बा.दो.	5.13 2.02 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
2	भीमसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 7/8 मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	कांकराला	93 8 142	4.3504 1.7163 0.1246	बा.सोयम बा.सोयम बा.दोयम	5.13 2.02 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
3	लादुसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 7/8 मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	कांकराला	93 8 142	4.3503 1.7163 0.1247	बा.सोयम बा.सोयम बा.दो.	5.13 2.02 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
4	हेमसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 7/8 मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कांकराला	93 8 142	4.3503 1.7163 0.1247	बा.सोयम बा.सोयम बा.दो.	5.13 2.03 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
5	उतमसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 7/8 मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कांकराला	93 8 142	4.3503 1.7163 0.1247	बा.सोयम बा.सोयम बा.दो.	5.13 2.03 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
6	जालमसिंह पुत्र अचलसिंह के कायम मुकाम गुलाब कंवर पत्नि जालमसिंह हि. 7/32 गजेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह हि. 7/32 कौशल्याकंवर पुत्री जालमसिंह हि. 7/32 दीक्षा कंवर पुत्री जालमसिंह हि. 7/32 मोहनकंवर पत्नि	कांकराला	93 8 142	4.3504 1.7163 0.1246	बा.सोयम बा.सोयम बा.दो.	5.14 2.03 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

	अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. देह खातेदार						
7	अमरसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 7/8 मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 7/8 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कांकराला	93 8 142	4.3504 1.7163 0.1247	बा.सोयम बा.सोयम बा.दो.	5.14 2.03 0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
8	1.अमरसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 1/8 2.उतमसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 1/8 3.चैनसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 1/8 4.जालमसिंह पुत्र अचलसिंह के कायम मुकाम गुलाब कंवर पत्नि जालमसिंह हि. 1/32 गजेन्द्र पुत्र जालमसिंह हि. 1/32 कौशल्याकंवर पुत्री जालमसिंह हि. 1/32 दीक्षाकंवर पुत्री जालमसिंह हि. 1/32 5.भीमसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 1/8 6.लादुसिंह पुत्र अचलसिंह हि. 1/8 7.हेमसिंह पुत्र अचलसिंह हि 1/8 8.मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कांकराला	300/151 301/151 302/151	0.2529 0.2023 0.0506	बा.दो. बा.दो. गै.मु. आवासीय	0.51 0.40 —	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार) 30/7/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30/07/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 30/07/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 30/2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2016/00103

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1.मोहनकंवर पत्नि अचलसिंह 2.भीमसिंह पुत्र अचलसिंह 3.उत्तमसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कांकराला तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.चैनसिंह पुत्र अचलसिंह 2.लादूसिंह पुत्र अचलसिंह 3.हेमसिंह पुत्र अचलसिंह 4.जालमसिंह पुत्र अचलसिंह के वारिसान 4/1.गुलाब कंवर पत्नि जालमसिंह 4/2.गजेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह 4/3.दिक्षा पुत्री जालमसिंह 4/4.कौशल्या कंवर पुत्री जालमसिंह 5.अमरसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कांकराला तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 30/2016

निर्णय दिनांक :—30.7.2025

वादीगण की ओर से श्री प्रेमसिह अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से श्री जेठूलाल कुमावत की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.7.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.7.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30/7/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा